गिरधन बनाम त्रिलोकचन्द प्रा.पत्र 212 85/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12/22

आज पत्रावली पेश हुई, पत्रावली पर प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/01/23 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

10/01/23

पत्रावली प्रस्तुत हुई, प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 रा.का.अ. पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2021 को प्रार्थना-पत्र दर्ज रजि. किया जाकर इस प्रकार से अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया था कि अप्रार्थी त्रिलोकचन्द को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.12.2021 तक आ० खसरा नं० 2527 के 8 ऐयर बाबत कस्बा नगर तह० नगर जो सायलान के कब्जे काश्त मे है में किसी भी प्रकार मदाखलत मजाहमत न करें, आराजी के किसी हिस्सा विशेष पर निर्माण कार्य नहीं करें एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हुकूक सायलान जायल हो। पत्रावली आगामी तिथि 20.12.2021 को रखी गई।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का समग्र अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। इसके उपरान्त यह पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मे त्रिलोकचन्द के विरुद्ध अनुतोष चाहा गया है जो न्यायालय मे लम्बित वाद उनवानी प्रकरण गिरधन बनाम राजस्थान सरकार मे पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया गया, मूल वाद मे राज० सरकार व सहा० अभियन्ता सा० नि० वि० के विरुद्ध दावा दायर कर राजस्व रिकॉर्ड

PTO

उप खण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

गोरधन बनाम त्रिलोकचन्द / प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 85/21

मे दुरुस्ती कराना चाहता है तथा वाद की विषय वस्तु भी इसी प्रकार वर्णित की है, कि बन्दोबस्त के दौरान राजस्व रिकॉर्ड मे अशुद्धि हो गई है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

प्रार्थी द्वारा मूल वाद प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश किया गया था। जिसमे अप्रार्थी त्रिलोकचन्द को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने के आशय से पेश किया था। जिसे न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय मे कोई दावा ही लम्बित नही है तो प्रा. पत्र 212 RTA का औचित्य ही नही है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी आदेश दिनाक 29.11.2021 मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अंकित किया जाकर पूर्व मे जारी आदेश दिनाक 29.11.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उप खण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)